भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*31
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
संबंधी योजनाएं

*31. श्री राजमणि पटेलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या सहित वर्षवार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्यों सहित देश में शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमांत कामगारों के कौशल में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किए गए उपायों सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर संबंधी योजनाएं" के संबंध में श्री राजमणि पटेलः द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *31 के लिए दिनांक 05.02.2020 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक अनुबंध- I, II, III एवं IV में दिए गए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर जिसमें शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल है अनुबंध-V में दी गई है।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 17.01.2020 तक पीएमकेवीवाई के तहत देश भर में 16.6 लाख (लगभग) अभ्यर्थी नियोजित हो चुके हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध -I

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20#**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1398	1744	1832	216
2.	आंध्र प्रदेश	14148	12216	17760	8200
3.	अरुणाचल प्रदेश	1984	1672	2240	896
4.	असम	31498	18256	29896	7216
5.	बिहार	25872	18456	26424	6224
6.	चंडीगढ़	376	360	224	72
7.	छत्तीसगढ़	12856	11704	24752	8432
8.	दिल्ली	952	920	1056	368
9.	गोवा	660	400	624	312
10.	गुजरात*	11629	15008	28000	19032
11.	हरियाणा	11016	13744	17320	6752
12.	हिमाचल प्रदेश	6916	7088	11192	5456
13.	जम्मू और कश्मीर	11691	30024	60232	17488
14.	झारखंड	10400	8888	14376	3856
15.	कर्नाटक	30286	16920	29256	13800
16.	केरल	13068	10776	19888	8064
17.	मध्य प्रदेश	15520	14432	20208	5552
18.	महाराष्ट्र**	17799	26632	45136	16992
19.	मणिपुर	8419	4800	10328	2680
20.	मेघालय	2632	600	3120	1072
21.	मिजोरम	3400	1992	8984	2144
22.	नागालैंड	7783	7440	9664	1992
23.	ओडिशा	20392	19192	24560	6688
24.	पुडुचेरी	699	352	608	264
25.	पंजाब	9858	12160	14408	6488
26.	राजस्थान	13408	12614	18872	8632
27.	सिक्किम	201	296	440	256
28.	तमिलनाडु	25764	32760	41480	17192
29.	तेलंगाना	6445	9520	16408	7776
30.	त्रिपुरा	17961	8928	9432	1712
31.	उत्तर प्रदेश	36315	43456	41944	12656
32.	उत्तराखंड	9890	12904	17448	5136
33.	पश्चिम बंगाल	26604	10928	19304	8224
	योग	**407840**	**387182**	**587416**	**211840**

स्रोतः सूक्ष्मलघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ,

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

#अक्तूबर, 2019 तक

अनुबंध -II

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित मानव दिवस राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

		सृजित मानव दिवस (करोड़ में)			
क्र.सं.	राज्य	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20#**
1	आंध्र प्रदेश	20.59	21.21	24.65	15.78
2	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.43	0.69	0.58
3	असम	4.66	4.81	5.33	4.60
4	बिहार	8.58	8.17	12.34	10.35
5	छत्तीसगढ़	8.86	11.99	13.86	10.35
6	गोवा	0.013	0.010	0.0015	0.002
7	गुजरात	2.71	3.53	4.20	2.81
8	हरियाणा	0.85	0.90	0.78	0.66
9	हिमाचल प्रदेश	2.37	2.20	2.85	2.01
10	जम्मू और कश्मीर	3.16	3.71	3.69	1.53
11	झारखंड	7.07	5.93	5.37	5.43
12	कर्नाटक	9.14	8.57	10.45	9.39
13	केरल	6.85	6.20	9.75	6.16
14	मध्य प्रदेश	11.30	16.22	20.30	16.04
15	महाराष्ट्र	7.09	8.25	8.46	4.96
16	मणिपुर	1.19	0.61	1.17	1.63
17	मेघालय	2.83	2.92	3.42	2.40
18	मिजोरम	1.68	1.44	1.81	1.68
19	नागालैंड	2.91	2.00	1.33	0.96
20	ओडिशा	7.74	9.22	8.31	8.01
21	पंजाब	1.58	2.23	2.04	1.95
22	राजस्थान	25.97	23.98	29.42	28.04
23	सिक्किम	0.46	0.35	0.34	0.22
24	तमिलनाडु	39.99	23.89	25.77	21.04
25	तेलंगाना	10.82	11.48	11.77	9.75
26	त्रिपुरा	4.61	1.76	2.53	2.78
27	उत्तर प्रदेश	15.75	18.15	21.22	20.44
28	उत्तराखंड	2.37	2.23	2.22	1.34
29	पश्चिम बंगाल	23.56	31.26	33.83	16.65
30	अंडमान और निकोबार	0.04	0.02	0.02	0.02
31	लक्षद्वीप	0.00001	0.0006	0.0010	0.0003
32	पुडुचेरी	0.05	0.07	0.07	0.06
	योग	**235.64**	**233.74**	**267.99**	**207.62**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

#दिसम्बर, 2019 तक

अनुबंध - III

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)के तहत प्रशिक्षण के बाद रोजगार में रखे गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण।

		प्रशिक्षण के बाद रोजगार में रखे गए उम्मीदवारों की संख्या			
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
1.	आंध्र प्रदेश	18966	10954	24894	6106
2.	असम	1479	3464	7397	11842
3.	बिहार	4216	4859	5851	4381
4.	छत्तीसगढ़	1987	539	2583	3396
5.	गुजरात	2075	160	1482	1896
6.	हरियाणा	586	5832	3596	5657
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	526	651
8.	जम्मू और कश्मीर	6453	1424	631	1203
9.	झारखंड	2355	2375	3585	6681
10.	कर्नाटक	4432	4752	5411	5048
11.	केरल	5598	4175	9656	5751
12.	मध्य प्रदेश	3546	1823	2094	1732
13.	महाराष्ट्र	3694	7390	4500	7113
14.	मणिपुर	0	0	0	466
15.	मेघालय	0	0	253	424
16.	मिजोरम	0	0	0	302
17.	नागालैंड	0	0	0	353
18.	ओडिशा	45726	14035	31481	26072
19.	पंजाब	0	563	1443	972
20.	राजस्थान	3397	693	3381	4338
21.	सिक्किम	70	0	64	32
22.	तमिलनाडु	30780	765	185	1958
23.	तेलंगाना	9150	9048	15604	6131
24.	त्रिपुरा	342	526	2093	304
25.	उत्तर प्रदेश	2052	892	4839	4701
26.	उत्तराखंड	0	0	253	551
27.	पश्चिम बंगाल	979	1518	3700	2801
	योग	**147883**	**75787**	**135502**	**110862**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

*दिसम्बर, 2019 तक

<u>अनुबंध -IV</u>

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन किए गए कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
1	आंध्र प्रदेश	35882	12010	54610	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	113	622	1
3	असम	293	1284	452	426
4	बिहार	176	1546	826	625
5	छत्तीसगढ़	5858	6476	5182	1041
6	गोवा	66	639	1255	27
7	गुजरात	3920	6388	13213	2727
8	हरियाणा	0	685	2945	336
9	हिमाचल प्रदेश	86	100	417	100
10	जम्मू और कश्मीर	0	25	115	84
11	झारखंड	2700	20795	6859	827
12	कर्नाटक	637	898	0	0
13	केरल	443	2413	4509	1392
14	मध्य प्रदेश	38060	3039	32501	2784
15	महाराष्ट्र	11768	6083	29227	25715
16	मणिपुर	0	0	109	90
17	मेघालय	317	111	210	0
18	मिजोरम	147	91	1433	564
19	नागालैंड	341	1749	0	0
20	ओडिशा	2467	776	0	0
21	पंजाब	0	1139	1473	1176
22	राजस्थान	0	33	2725	1009
23	सिक्किम	0	0	248	0
24	तमिलनाडु	0	1156	2963	170
25	तेलंगाना	1861	10013	5070	989
26	त्रिपुरा	0	2	228	6
27	उत्तर प्रदेश	42174	30058	738	234
28	उत्तराखंड	1731	0	1076	77
29	पश्चिम बंगाल	2691	6919	8954	3554
30	चंडीगढ़	283	875	262	106
31	दिल्ली	0	0	21	0
	योग	**151901**	**115416**	**178243**	**44066**

स्रोत: आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

*** 27-01-2020 को**

अनुबंध -V

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर सीमा तक बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2013-14	**2015-16**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	3.9	5.8
3.	असम	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	4.3	3.8	7.1
22.	पंजाब	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	2.8	3.4	9.0
33.	दादर और नगर हवेली	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारत	**3.4**	**3.7**	**6.0**

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।